



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240256
CG-DL-E-14112022-240256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5062]
No. 5062]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

का.आ. 5282(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार यूएन क्लास 1 (विस्फोटक) के अंतर्गत आने वाले स्पेस रॉकेट हेतु ठोस प्रणोदक के विनिर्माण, भंडारण, उपयोग और परिवहन के लिए विस्फोटक नियम, 2008 के सभी उपबंधों के प्रचालन से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को छूट प्रदान करती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात :-

- विस्फोटकों के विनिर्माण, भंडारण हेतु भवन निर्माण, परिवहन और विस्फोटकों के उपयोग के लिए विस्फोटक के भंडारण और परिवहन संबंधी समिति (एसटीईसी) के दिशानिर्देशों का पालन करना; और
- अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सीएफईईएस), रक्षा मंत्रालय के एक सदस्य की भागीदारी के साथ ठोस प्रणोदक विनिर्माण सुविधाओं का द्विवार्षिक सुरक्षा ऑडिट कार्य करना।

[फा. सं. पी-13033/112/2021-विस्फोटक]

सुमिता डावरा, विशेष सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

S.O. 5282(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of The Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts Indian Space Research Organisation from the operation of all the provisions of the Explosives Rules, 2008 for manufacturing, storage, use and transportation of “Solid Propellant for Space Rockets falling under UN Class 1 (Explosives) subject to the following conditions, namely:-

- (i) to follow the Storage and Transportation of Explosives Committee (STEC) guidelines for construction of buildings for manufacture, storage, transportation and use of explosives; and
- (ii) to carry out biennial safety audit of the solid propellant manufacturing facilities with the participation of a member from The Center for Fire, Explosive and Environment Safety, (CFEES), Ministry of Defence.

[F. No. P-13033/112/2021-Expl]

SUMITA DAWRA, Special Secy.